1

संख्या 72 लो0नि0–1/2002–39(नंदप्रयाग)/2002

प्रेषक,

टी. के. पंत,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

देहरादून : दिनॉक 23 जनवरी, 2004

लोक निर्माण अनुभाग–1

विषय: **विधान सभा क्षेत्र नंदप्रयाग के अन्तर्गत विकास खण्ड घाट में वर्ष 2002–03 में स्वीकृत 50 मीटर झूला पुल के स्थान पर 36 मीटर स्पान के लौह सेतु के आगणन की वित्तीय वर्ष 2003–04 में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय आपके पत्र संख्या 2795/24 (38) माता.–उत्तरांचल/2003 दिनांक 01–7–2003 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत कार्य की स्वीकृति शासनादेश संख्या 8448/ लो.नि.–2/2002/95(प्रा.आ.)/2002 दिनांक 19–12–2002 द्वारा रु0 32.50 लाख की प्रदान की गई थी। उपरोक्त के क्रम में भू–गर्भवेत्ता की स्थल निरीक्षण आख्या एवं उनके सुझाव के आधार पर 50 मीटर विस्तार के झूला पुल की ऊपर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 19.12.2002 के क्रमांक 225 की योजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति को निरस्त करते हुए अब उसके के स्थान पर 36 मीटर स्पान के स्टील गर्डर सेतु के निर्माण की रु0 32.16 लाख (रुपये बत्तीस लाख सोलह हजार मात्र) के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रश्नगत कार्य हेतु रु0 0.50 लाख (रुपये पचास हजार मात्र) की धनराशि व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– ऊपर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 19.12.2002 केवल इस सीमा तक संशोधित मानकर व्यय और उसके पूर्ण योजना हेतु स्वीकृत रु0 50,000 की धनराशि शासन को अर्पित कर दी जाय।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

4– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार, सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नामे है, स्वीकृत नामे से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मद्य नजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरुप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

.....2

8– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भू–गर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थलि आवश्यकानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरुप कार्य किया जाय।

9– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

10– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

11– कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण ऐजन्सी/अधिशासी अभियंता का होगा।

12– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाव। स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31–3–2004 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय।

13– आगामी किश्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

14– इस कार्य में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2003–2004 में अनुदान संख्या 22 के लेखा शीर्षक –5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सड़कें –आयोजनागत –800 –अन्य व्यय –03 राज्य सेक्टर –02 नया निर्माण कार्य –24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

15– यह आदेश वित्त अनुभाग–3 के अ0शा0 संख्या 2527/वित्त अनुभाग–3/2003 दिनांक 22 जनवरी, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(टी. के. पत)
उप सचिव।

.....3

संख्याः 72 (1)लो0नि0–1/2004 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल, इलाहाबाद/देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. श्री एल.एम. पंत, अपर सचिव वित्त (बजट अनुभाग), उत्तरांचल शासन।
4. मुख्य अभियंता स्तर–2, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी/मुख्याधिकारी, चमोली।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी को मा0 मुख्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ हेतु।
7. अधीक्षण अभियंता, 38वां वृत्त, लो.नि.वि., गोपेश्वर।
8. वित्त अनुभाग–3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
9. लोक निर्माण अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(टी. के. पंत)
उप सचिव।